एस. ओ. ..... , पटना, ...

अधिसूचना

जैव विविधता अधिनियम–2002 (संशोधन 2023) से सम्बन्धित प्रारूप अधिसूचना का प्राख्यापन

राज्य सरकार सारण जिला के छपरा सदर अंचल के चिरांद पंचायत अन्तर्गत मौजा चिरांद में गंगा नदी अंश तथा नदी तट पर अवस्थित कुल 2592.89 हे॰ क्षेत्र (नदी अंश 2592 हे॰ तथा भू–खण्ड 0.89 हे॰) के सम्मिलित भू–भाग को जैव विविधता तथा पारितंत्र की विशिष्टता एवं संयोजित रूप से पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखकर जैव विविधता अधिनियम–2002 (संशोधन 2023) की धारा–37 के अन्तर्गत **''जैव विविधता विरासत स्थल''** घोषित करने का विचार रखती है।

2. सरकार ऐसी घोषणा करने के पूर्व किसी व्यक्ति समुदाय तथा किन्हीं हितधारक एवं पक्षकार जिन्हें ऐसी घोषणा से किसी प्रकार से प्रभावित होने की आशंका हो या इसका कोई मामला हो, अथवा जो अन्यथा इससे सम्बद्ध हों, को अपनी आपत्ति, सुझाव या मंतव्य देने का अवसर दिया जाना युक्ति संगत समझती है। इस आशय से यहाँ निम्नांकित ''प्रारूप अधिसूचना'' का प्राख्यापन किया जा रहा है।

3. अधिसूचना का प्रारूप, चिन्हित स्थल का विवरण एवं जी. पी. एस. लोकेशन तथा नक्शा प्रख्यापन पत्र में अंकित QR Code को स्कैन कर देखा या उसे डाउनलोड किया जा सकता है।

4. अतएव सारण जिला के स्थानीय समुदाय एवं इस मामलें में अन्य कोई हितधारक अथवा पक्षकार अपनी आपत्ति, सुझाव अथवा मंतव्य इस प्राख्यापन के प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर निम्नांकित प्राधिकारी को यहाँ बताये गये तरीके से दे सकते हैं :–

सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

(क) डाक द्वारा निम्नांकित पते पर :–

सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, चतुर्थ मंजिल,
बिहार राज्य भवन निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड काम्पलेक्स,
शास्त्री नगर, पटना–800023

(ख) इ–मेल द्वारा निम्नांकित इ–मेल आइ०डी० पर :–

bdbihar@bihar.gov.in

राज्यपाल–बिहार के आदेश से

(.....)
सरकार के उप/संयुक्त/अपर सचिव

प्रारूप अधिसूचना

एस०ओ०...../ पटना, ...

सारण जिला अन्तर्गत, छपरा सदर अंचल के चिरांद पंचायत के मौजा चिरांद में गंगा नदी के अंश तथा संलग्न नदी तटस्थ भूखण्ड जिनका सकल विस्तार 2592.89 हे० (नदी अंश 2592 हे॰ तथा भू–खण्ड 0.89 हे॰) है, तथा जिसकी विवरणी नक्शा सहित उपाबद्ध अनुसूची में अंकित है, को निम्नांकित पारिस्थितिकीय एवं अन्य सम्बद्ध तथ्यों के आलोक में जैव विविधता तथा सम्बन्धित पारितंत्र पहलुओं के दृष्टिकोण से ''जैव विविधता विरासत स्थल'' के रूप में संरक्षित करना अपेक्षित हैः–

(i) गंगा नदी के जलीय परितंत्र अन्तर्गत जैव विविधता का महत्वपूर्ण अंश जिसमें राष्ट्रीय जल जीव डाल्फिन तथा संकटापन्न अन्य प्रजाति में घड़ियाल तथा उद्बिलाव के वास स्थल अवस्थित हैं।

(ii) घाघरा तथा सोन नदी के साथ गंगा के संगम स्थानों के बीच में गंगा नदी की चौड़ी मुख्य धारा का स्थल जिसमें नदी पारिस्थितिकीय क्षेत्र में दियारा तथा सैंडबार (Sandbar) के भूखण्ड मानसून के अलावे अन्य मौसम में उपलब्ध रहते हैं।

(iii) नदी तट के भूखण्ड पर वृक्षाच्छादन तथा वनस्पति नदी परितन्त्र से संयोजित एक समागम स्थल (Mosaic) के रूप में भी उपलब्ध है।

(iv) यह भू–भाग वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं है, अतएव अन्य वैकल्पिक व्यावहारिक विधि से इसका संरक्षण वांछित है।

(v) नदी तट पर नव–पाषाण काल (Neolithic age) के अवशेष पाये गये हैं जो पुरातात्विक महत्व के आधार पर कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार द्वारा संरक्षित हैं।

(vi) नदी तट की स्थानीय सांस्कृतिक महत्ता वहाँ उपलब्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल (मठ) से जुड़ी है।

(vii) नदी अंश, दियारा तथा सैंडबार एवं नदी तट पर अवस्थित वृक्ष तथा वनस्पति एवं नव–पाषाण काल (Neolithic age) के पुरातात्विक स्थल तथा सांस्कृतिक–धार्मिक स्थल के संयोजन से यह भू–भाग प्राकृतिक, अर्द्धप्राकृतिक एवं मानवीय पहलुओं से प्रभावित भूखण्डों का समागम (Mosaic) के रूप में उपलब्ध है।

2. जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन 2023) की धारा–37 तथा बिहार राज्य जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम संख्या– 24 के अन्तर्गत जैव विविधता विरासत स्थल के प्रावधान एवं तथा सम्बन्धित पंचायत जैव विविधता प्रबन्धन समिति के परामर्श से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान एवं घोषणा सम्बन्धी दिशानिर्देशों के अन्तर्गत उक्त स्थल को जैव विविधत विरासत स्थल के रूप में घोषित करने के लिये उपयुक्त पाया गया है।

3. जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधित 2023) की धारा–37 के अन्तर्गत गठित चिरान्द पंचायत, अंचल– छपरा सदर, जिला– सारण की जैव विविधता प्रबन्धन समिति द्वारा उक्त स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने की अनुशंसा की गयी है।

4. बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण वन प्रमण्डल के प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव की संस्तुति करते हुए उक्त स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने की अनुशंसा की है।

5. उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित स्थल को जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संसोधन 2023) की धारा–37 के अन्तर्गत **''जैव विविधता विरासत स्थल''** घोषित किया जाता है। घोषित स्थल का नाम **''चिरान्द जैव विविधता विरासत स्थल''** होगा।

इस घोषणा के उपरान्त उक्त स्थल के संरक्षण एवं प्रबंधन में निम्नांकित अनुदेश और उपबन्ध प्रयुक्त होंगेः–

(i) घोषित भू–भाग की जैव विविधता का संरक्षण हो सके तथा इसकी पारिस्थितिकीय स्थिति में सुधार हो, इसके लिये बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के मार्गदर्शन में वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों तथा संबंधित पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति के परामर्श से 6 माह की अवधि में 10 वर्षों की **प्रबन्धन कार्य योजना** तैयार की जायगी। इस प्रबन्ध कार्य योजना को जिला पर्यावरण समिति द्वारा अनुमोदित कर इसका क्रियान्वयन किया जायगा।

(ii) उक्त प्रबन्ध कार्य योजना के प्रावधानों में सुनिश्चित किया जायगा कि उक्त भू–भाग पर किन्हीं विधिसम्मत क्रिया–कलापों पर आधारित स्थानीय समुदाय की आजीविका पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, तथा ऐसे किसी अपरिहार्य प्रतिकूल प्रभाव के निराकरण का समुचित और पर्याप्त निराकरण की कार्यकारी व्यवस्था प्रबन्ध कार्य योजना में समाविष्ट कर ली जायगी।

(iii) प्रबन्धन कार्य योजना के प्रावधानों में गंगा नदी के राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित अंश में राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, भू–राजस्व एवं भूमि सुधार तथा खान एवं भूतत्व विभाग के क्रिया–कलापों एवं परियोजनाओं के सूत्रण एवं क्रियान्वयन में कोई निषेधात्मक प्रतिबन्ध नहीं रहेंगे। उक्त परियोजनाओं या क्रिया–कलापों के सूत्रण एवं क्रियान्वयन में सम्बन्धित प्राधिकरण, विभाग, अथवा संगठन द्वारा घोषित भू–भाग में आवश्यकतानुसार बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् से परामर्श प्राप्त कर जैव विविधता एवं पारितंत्र के संरक्षण अथवा उनपर प्रतिकुल प्रभावों को कम करने अथवा उनको प्रतिकार करने की व्यवस्था एवं कार्रवाई की जायगी।

(iv) घोषित भू–भाग में नदी तट स्थित नव–पाषाण काल (Neolithic age) के पुरातात्विक भू–खण्ड की अभिरक्षा तथा प्रबन्धन एवं प्रशासन का अधिकार एवं दायित्व कला एवं संस्कृति विभाग का यथावत बना रहेगा। वहाँ उपलब्ध परिसर के किसी अस्थायी उपयोग अथवा उसमें वानिस्पतिकीय परिवर्त्तन के लिये कला एवं संस्कृति विभाग से परामर्श कर उनकी पूर्वानुमति प्राप्त की जायगी।

राज्यपाल–बिहार के आदेश से

(.....)
सरकार के उप/संयुक्त/अपर सचिव

अनुसूची

चिरान्द जैव विविधता विरासत स्थल का विवरण

स्थान	भू–भाग का स्वरूप	थाना न० / खाता / खेसरा	रकबा / क्षेत्रफल हे०	अभ्युक्ति
जिला :– सारण अंचल :– छपरा सदर पंचायतः– चिरांद मौजा :– चिरांद	1. गंगा नदी का अंश जिसमें मुख्य धारा, दियारा एवं उथले स्थल के भू–खण्ड तथा तटीय पट्टी सम्मिलित हैं।	–	2592.00	असर्वेक्षित भूमि; यह भू–भाग पश्चिम में गंगा एवं घाघरा नदियों के संगम स्थल से पूरब में गंगा एवं सोन नदियों के संगम स्थल तक अवस्थित
	2. नदी तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल का अंश – कला संस्कृति विभाग के अंतर्गत कुल 1.86 हे० क्षेत्र में से निर्मित परिसर के बाहर स्थित स्थल 0.89 हे०।	थाना न०–चिरांद 503 खाता–406 खेसरा–1108	0.89	गैरमजरूआ मालिक बिहार सरकार
		कुल योग	2592.89	

स्थल की परिधि का जी०पी०एस०					
ID	GPS		ID	GPS	
1	25.7318	84.826	22	25.7176	84.8059
2	25.7314	84.8257	23	25.7208	84.7935
3	25.7307	84.8272	24	25.721	84.7813
4	25.731	84.8273	25	25.7207	84.7693
5	25.7302	84.829	26	25.7198	84.7654
6	25.7272	84.8394	27	25.7186	84.7602
7	25.724	84.8591	28	25.7186	84.7572
8	25.7215	84.8734	29	25.7206	84.7543
9	25.718	84.8797	30	25.7201	84.7487
10	25.7057	84.8823	31	25.7223	84.7425
11	25.6948	84.8811	32	25.7243	84.7384
12	25.6903	84.8771	33	25.7268	84.738
13	25.6918	84.8735	34	25.7294	84.7412
14	25.696	84.8678	35	25.7327	84.7435
15	25.7051	84.8635	36	25.733	84.7513
16	25.7109	84.855	37	25.7349	84.7628
17	25.713	84.8422	38	25.7336	84.7767
18	25.7157	84.836	39	25.7354	84.7953
19	25.7171	84.8327	40	25.7344	84.8011
20	25.7149	84.8228	41	25.7358	84.8158
21	25.7145	84.8127			

स्थल का नक्शा

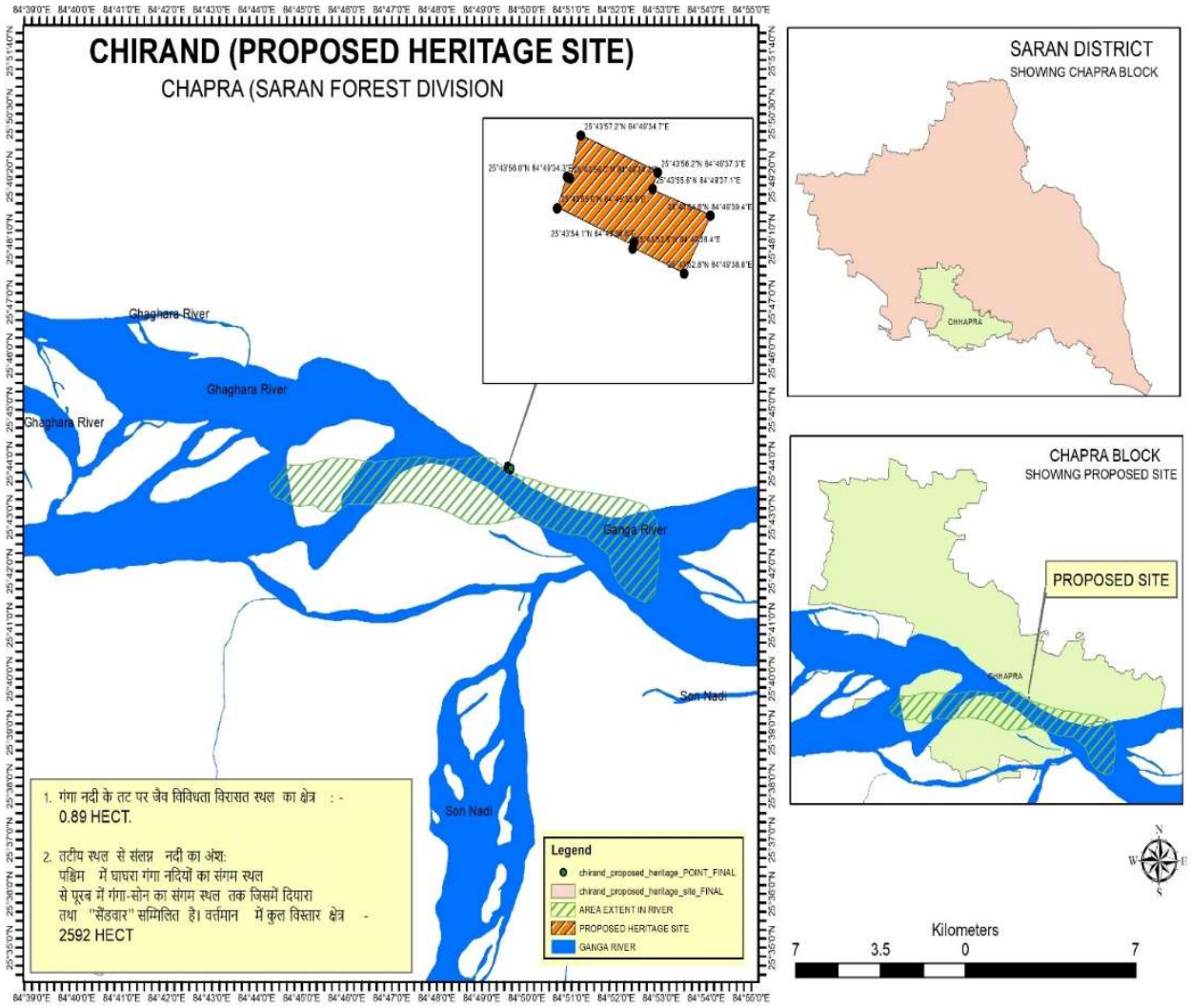
CHIRAND (PROPOSED HERITAGE SITE)
CHAPRA (SARAN FOREST DIVISION
Ghaghara River
Ghaghara River
Ghaghara River
Ganga River
Son Nadi
Son Nadi
1. गंगा नदी के तट पर जैव विविधता विरासत स्थल का क्षेत्र : - 0.89 HECT.
2. तटीय स्थल से संलग्न नदी का अंश: पश्चिम में घाघरा गंगा नदियों का संगम स्थल से पूरब में गंगा-सोन का संगम स्थल तक जिसमें दियारा तथा "सैंडवार" सम्मिलित है। वर्तमान में कुल विस्तार क्षेत्र - 2592 HECT
Legend
chirand_proposed_heritage_POINT_FINAL
chirand_proposed_heritage_site_FINAL
AREA EXTENT IN RIVER
PROPOSED HERITAGE SITE
GANGA RIVER
SARAN DISTRICT
SHOWING CHAPRA BLOCK
CHHAPRA
CHAPRA BLOCK
SHOWING PROPOSED SITE
PROPOSED SITE
CHHAPRA
N
W
E
S
Kilometers
7
3.5
0
7